न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः 235/14 पुनः 287/16

दर्ज दिनांकः 17/12/14 पुनः 01/02/16

निर्णय दिनांक : 22/02/2018

1. मोहरीलाल पुत्र श्रीनारायण जाति कुमावत निवासीः ग्राम मस्ता, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. प्रभुनारायण पुत्र श्रीनारायण जाति कुमावत, निवासीः ग्राम मस्ता, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. भौंरीलाल पुत्र कल्याण
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र कल्याण
3. मूलचन्द पुत्र कल्याण
4. ओमप्रकाश पुत्र कल्याण

   समस्त जाति कुमावत, निवासीः मस्ता, तहसील फागी, जिला जयपुर।
5. हीरालाल पुत्र भौंरीलाल
6. हनुमान पुत्र भौंरीलाल

   समस्त जाति कुमावत, निवासीः मस्ता, तहसील फागी, जिला जयपुर।
7. रामजीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
8. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण

   समस्त जाति कुमावत, निवासीः मस्ता, तहसील फागी, जिला जयपुर।
9. रिंकू पुत्र मूलचन्द
10. दीनदयाल पुत्र मूलचन्द

    समस्त जाति कुमावत, निवासीः मस्ता, तहसील फागी, जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

11. राजेश पुत्र ओमप्रकाश

12. महेश पुत्र ओमप्रकाश

समस्त जाति कुमावत, निवासीः मस्ता, तहसील फागी, जिला जयपुर।

13. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादीगण/प्रार्थीगण ने उपरोक्त उनवानी वाद मान्य न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता की पूरी—पूरी आशा है। खतौनी संख्या 50 के आराजी खसरा नंबर 421/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम मस्ता, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा सरकारी लगान अदा करते आ रहे है। उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति एवं कब्जेशुदा आराजी है जिससे अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है एवं अप्रार्थीगण संख्या में अधिक है एवं जिन्होने एक नाजायज गिरोह बना रखा है एवं प्रार्थीगण से द्वेषता रखते है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की कब्जेशुदा आराजी को अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करते है। प्रार्थीगण ने अपनी कब्जाशुदा आराजी में काफी पैसा खर्च करके आराजी को उन्नत व उपजाऊ बना ली है एवं प्रार्थीगण बुजुर्गो के समय से उक्त आराजी को काश्त करते चले आ रहे है एवं अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण से मेर कोर को लेकर लडाई झगडा करते है एवं काश्त करने में हैरान व परेशान करते है एवं अधिक पैदावार होने के कारण अप्रार्थीगण की नियत में फितूर उत्पन्न हो गया है। दिनांक 11/12/2014 को प्रार्थीगण अपनी आराजी में खरार कर रहा था तो अप्रार्थीगण एकराय होकर आराजी पर आये व प्रार्थीगण को काश्त करने में बाधा उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थीगण ने मना किया तो अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि आराजी को शांतिपूर्वक काश्त नहीं करने देगे एवं नाजायज रूप से कब्जा करके आराजी से

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बेदखल कर देगे इसलिये प्रार्थीगण को अपने हक हकूको की रक्षार्थ हेतु प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण अपने मंसूबे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को उसकी कब्जाशुदा आराजी से वंचित होना पडेगा एवं व्यर्थ में मुकदमेबाजी बढेगे तथा खर्चे से जेरबार होना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना असंभव होगा इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की अराजी को खुर्द बुर्द करने लगे तब प्रार्थीगण ने इस संबंध में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी एवं प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति व कब्जाशुदा आराजी की रक्षार्थ हेतु न्यायालय की शरण में आये है अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण आराजी से अनाधिकृत रूप से बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी एवं प्रार्थीगण के भूखे मरने की स्थिति आ जायेगी इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायोचित है। प्रथमदृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत न स्वयं करे ना ही अन्य से करावें तथा काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं नाजायज रूप से आराजी से बेदखल नहीं करे

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 20.10.2016 को वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध फोटोप्रति जमाबंदी, जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा, वाद पत्रावली इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि प्रार्थीगण आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

पक्षकारान के मध्य विवाद का निपटारा वाद के अंतिम निर्णय के समय किया जावेगा। पक्षकारान के मध्य विवाद न बढे इस हेतु मेरे विनम्र

मत में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजीयात के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22/02/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुंद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी